भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 132
दिनांक 11.02.2020/22 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

टुकड़े-टुकड़े गैंग

† *132. श्री जसबीर सिंह गिलः
श्री विनसेंट एच० पालाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) या किसी केन्द्रीय/राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसी/पुलिस बल या किसी केन्द्रीय या राज्य आसूचना संगठनों ने टुकड़े-टुकड़े गैंग नामक एक संगठन की पहचान की है और इसे सूचीबद्ध किया है;

(ख) क्या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' शब्दावली मंत्रालय या अन्य विधि प्रवर्तन/आसूचना एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सूचनाओं पर आधारित है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय/एनसीआरबी या किसी अन्य विधि प्रवर्तन या आसूचना संगठन ने 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के कथित नेताओं और सदस्यों की सूची बनाई है; और

(घ) क्या गृह मंत्रालय या किसी अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसी/आसूचना संगठन द्वारा 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के सदस्यों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई/दंड (और आईपीसी और/या अन्य अधिनियमों की धाराओं के अंतर्गत) दण्डनीय कार्यवाही या दंड पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. 121 दिनांक 11.02.2020

'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के संबंध में लोक सभा के दिनांक 11 फरवरी, 2020 के तारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): किसी भी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सरकार के ध्यान में इस प्रकार की कोई सूचना नहीं लाई गई हैं।

****